न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

नं. 21/2021 तारीख दायरा 15/06/2021 तारीख फैसला 25/06/2021

क्षीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. गिर्राज पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा
2. धनपाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा
3. धनराज पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासीगण गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा
2. श्योनारायण पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा
3. चतरी पत्नि श्री भैरूलाल जाति मीणा
4. रामप्यारी पुत्री श्री भैरूलाल जाति मीणा
5. सीता बाई पत्नि बृजमोहन जाति मीणा
6. सोनी पुत्री श्री बृजमोहन जाति मीणा
7. कृष्णा पुत्री श्री बृजमोहन जाति मीणा
8. प्रेमराज नाबा0 पुत्र बृजमोहन जाति मीणा
9. मुंकलेष पुत्री श्री बृजमोहन जाति मीणा
10. कैलाश बाई पत्नि रघुनाथ जाति मीणा
11. सीता बाई पत्नि रामकल्याण जाति मीणा
12. बसन्ती बाई नाबा0 पुत्री रामकल्याण जाति मीणा
13. रामशंकर पुत्र श्री मोतीलाल जाति मीणा निवासीगण गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना– पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीएक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि:–

1. यह कि ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता सं0 नया 274 पुराना 262, ख0नं0 36 की 0.60 हैक0, ख0नं0 38 की 0.45 हैक्टे0, ख0नं0 55 की 0.26 हैक्टे0, ख0नं0 56 की 0.24 हैक्टे0, ख0नं0 57 की 0.27 हैक्टे0, ख0नं0 58 की 0.29, ख0नं0 59 की 0.18 हैक्टे0, ख0नं0 60 की 0.19 हैक्टे0, कुल खसरे की 8 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. यह कि उपरौक्त भूमियों मे से ख0नं0 55 की 0.26 हैक्टे0, ख0नं0 56 की 0.24 हैक्टे0, ख0नं0 57 की 0.27 हैक्टे0, ख0नं0 58 की 0.29, ख0नं0 59 की 0.18 हैक्टे0, ख0नं0 60 की 0.19 हैक्टे0,

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कुल 6 किता कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर मुख्य सडक कोटा रोड़ पर स्थित है जिसे विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार कृषक है।

3. यह कि उपरौक्त आराजी पैतृक आराजी है जो मंगला से विरासतन प्राप्त हुई है। स्वर्गीय मंगला प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के पितामह है। स्वर्गीय मंगला के 3 पुत्र रघुनाथ, मोतीलाल और भैरूलाल तथा 1 पुत्री सीता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। चुंकि पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है तथा मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागु नहीं होता है बल्कि मीणा जाति के सदस्यों पर रूढिगत कानून लागु होता है जिसके अनुसार पिता की जायदाद में पुत्री संतान को अधिकार नही मिलता है, इसलिए उक्त आराजी में स्वर्गीय मंगला की पुत्री सीता का कोई अधिकार नहीं है। और सीता पुत्री स्वर्गीय मंगला की मृत्यु हो चुकी हैं। इस प्रकार उपरौक्त आराजी में स्वर्गीय मंगला के तीनो पुत्रों रघुनाथ, मोतीलाल व भैरूलाल प्रत्येक का 1/3– 1/3 हिस्सा निहित है। और उपरौक्त आराजी में प्रत्येक पारिवारिक विभाजनानुसार अपने 1/3– 1/3 हिस्से पर काबिज है।

4. यह कि प्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता रघुनाथ व अप्रार्थी क्रम 13 के पिता मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण अपने दादा स्व0 मंगला के समय से ही पारिवारिक विभाजनानुसार प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में अंकित भूमि ख0नं0 55,56,57,58,59,60 जो इटावा कोटा मुख्य सड़क पर स्थित है पर अपने अपने 1/3– 1/3 हिस्से मुख्य सड़क के सहारे से दक्षिण दिशा की भूमि पर काबिज काश्त है और लगभग 40 वर्षों से प्रार्थीगण अपने रोड के सहारे दक्षिण दिशा कि तरफ 1/3 हिस्से पर अनवरत बदस्तुर काबिज काश्त है।

5. यह कि पक्षकार मीणा जाति के होने से उपरौक्त पैतृक आराजी में महिला सदस्यों व पुत्री संतान को कोई अधिकार नही मिलता है, न ही विवादित भूमि के किसी भाग पर महिला सदस्यों का कब्जा है, इसलिए स्वर्गीय मंगला के पुत्रों रघुनाथ, मोतीलाल, भैरूलाल के मरणोपरांत खोले गये ग्राम गणेशगंज का नामान्तकरण अवैध एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्मत ही शुन्य प्रभावी है। जिससे महिला अप्रार्थीगण के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न ही नहीं होते है। विधितः नामान्तकरण प्रक्रिया राज वित्तीय कार्यवाहियां है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार तय नहीं करती है।

6. यह कि प्रार्थीगण रोड के सहारे से दक्षिण दिशा की 1/3 भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन मुख्य सड़क के सहारे की भूमि की कीमत बढ़ जाने से प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा करने पर आमाद रहते है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मजमहत व मदाखलत करते है, इसी आशय से अप्रार्थी क्रम 1व 2 ने दिनांक 20.05.2021 को प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि पर पत्थर डालना शुरू किया व जमीन हांकने की कोशिश की तो प्रार्थीगण ने मना किया तो लड़ाई–झगड़े पर आमादा हुए इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के सहायता से मुख्य सड़क के सहारे से दक्षिण दिशा की 1/3 भूमि का पृथक विभाजन करवाना चाहते है तथा माननीय न्यायालय से आपके 1/3 हिस्से का पृथक बंटवारा करवाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से की रोड़ के सहारे दक्षिण दिशा की 1/3 हिस्से की भूमि पर पत्थर डालकर निर्माण कर लिया और हांक जोतकर कब्जा कर लिया तो अप्रार्थीगण अपने मंसुबे में कामयाब हो जावेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता तथा प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के खातेदार कृषक होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा
इटावा जिला कोटा

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान के खाता सं0 नया 274 पुराना 262,, ख0नं0 55 की 0.26 हैक्टे0, ख0नं0 56 की 0.24 हैक्टे0, ख0नं0 57 की 0.27 हैक्टे0, ख0नं0 58 की 0.29, ख0नं0 59 की 0.18 हैक्टे0, ख0नं0 60 की 0.19 हैक्टे0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के मुख्य सड़क कोटा रोड़ के सहारे की दक्षिण दिशा के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे। प्रार्थीगण के उक्त हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण कोई निर्माण, कब्जा, अतिक्रमण, हंकाई जुताई, भुखण्ड बैचान आदि नहीं करे, किसी प्रकार से अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करे। उक्त भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे, अप्रार्थीगण मद न0 2 में अंकित भूमि के सम्बन्ध में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से उक्त कृत्य करवायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी जारी की गई। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र क्रंमाक 21/21 व 23/21 दोनो प्रकरण एक ही है। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्रों पर आज ही दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुन ली जावे।

अधिवक्ताओं के निवेदन को स्वीकार करते हुए दोनो प्रार्थना पत्रों में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व तर्को पर मनन किया गया। प्रकरणों का अवलोकन किया गया चुंकि दोनो पक्षकारों को न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उभय पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर विभाजन का दावा जैरकार है। विवादित आराजी पैतृक है यह बात प्रथम दृष्टिया स्पष्ट है कि दोनो पक्षकार विवादग्रस्त भूमि के सही काश्तकार है।

अतः ऐसा स्पष्टतः प्रतीत होता है कि भूमि पर कब्जे एवं काश्त का विवाद मौके पर खड़ा हो सकता है अतः न्याय हित में यह आदेश दिया जाना उचित है कि उभय पक्ष अपनी अपनी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जे काश्त की भूमि पर बदस्तूर काश्त करेंगे और दोनो ही एक दुसरे के कब्जे की भूमि में मजामहत–मदाखलत नहीं करेंगें तथा उभय पक्षकारान को मूल वाद फैसल नहीं हो तब तक उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 25.06.2021 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) इटावा